

02.4.26

उक्तमा अग्निपुत्र सिंघाराम चौधरिया को कोई
पैसी नहीं है।

अभियोगन के और एक साक्षी
अनुसंधानकर्ता अनिल कुमार मिश्रा को डाकू
कीजई है।

सही अभिरथ है तथा साक्षी द्वारा
अग्निपुत्र सिंघाराम चौधरिया का मृत्यु प्रमाण का
को प्रति दाखिल किया गया है कि बीसुराया
द्वारा मृत्यु प्रमाण का की प्रति उपलब्ध कराया
जाया है तथा साक्षी का कथन है कि अग्निपुत्र
को मृत्यु स्थिति में ले गई है तथा तारीख 05.5.26 का
निर्णय प्रमाण पर है। अतः अग्निपुत्र सिंघाराम
चौधरिया की मृत्यु को मानने के कारण
इसके निरुद्ध रूप से अग्नि का लोह लेखिका
की जाती है। अथर्वण्य लिखक नियमानुसार
अनिल अजिलेवाभा में जमा करें।

DAIT